सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ 41 ( )15वी/द्वितीय सत्र/विस/पंरावि/2019/217 जयपुर दिनांक 25 जून, 2019

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद, समस्त।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद, समस्त
3. विकास अधिकारी
   पंचायत समिति, समस्त।

विषयः–विधान सभा सत्र के दौरान राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय बैठके आयोजित नही करने बाबत।

15 वीं राजस्थान विधानसभा का द्वितीय सत्र **दिनांक 27.06.2019** से आरम्भ होने जा रहा है। संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक पं. 17(2)संसद/80पार्ट, दिनांक 11.06.2019 की प्रति संलग्न कर निर्देश दिये जाते है कि 15वी विधान सभा के द्वितीय सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पडता है, की बैठके आयोजित नही की जाये।

अतः आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयो को संसदीय कार्य विभाग के उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावे।

संलग्नः–उपरोक्त परिपत्र

25/6

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर को उनके पत्र के क्रम में।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, राज. जयपुर।
7. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव(प्र.1)

16

पन्द्रहवीं राजस्थान विधानसभा/
द्वितीय सत्र/अति–आवश्यक

9

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकः प.17(2)संसद/80पार्ट

जयपुर, दिनांकः 11 जून, 2019

परिपत्र

विषय :– राजस्थान विधान सभा के सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के संबंध में।

पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 27 जून, 2019 से प्रारम्भ हो रहा है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय समितियों में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संसदीय कार्य विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विशेष रूप से सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के बारे में निवेदन किया जाता है।

विधान सभा में सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि सत्र के दौरान अधिकारीगण विभिन्न बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें उनकी भागीदारी आवश्यक होती है और उक्त बैठकों में भाग लेने से माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं और यदि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो जिला स्तरीय समिति में बिना उनकी सहभागिता के निर्णय ले लिए जाते हैं तथा अधिकारीगण संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना नहीं करते हैं ।

उक्त स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि विधानसभा सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों, जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है, की बैठकें आयोजित नहीं की जाए एवं विशेष परिस्थितिवश बैठक का आयोजन करना अतिआवश्यक हो तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति लेवें। यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्य की सहमति के बैठक बुलाई जावेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा और विधानसभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकती है।

कृपया परिपत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भी इस विभाग को तुरन्त भिजवाई जावें।

11/6/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. वरि. शासन उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)/समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया संबंधित विश्वविद्यालय एवं अनुदानित विश्वविद्यालय में उपरोक्त परिपत्र की पालना के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित कराने का श्रम करावें।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के सम्बन्ध में समस्त विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद्/नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करावें।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृषि उपज मंडी समितियों, जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करें।
10. अनिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, को प्रेषित कर निवेदन है कि जिन समितियों में मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपयां उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि परिपत्र के पालना के संबंध में समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषद को निर्देश जारी कराने का श्रम करावें।
12. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/खण्ड–पीठ, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

11-06-19
शासन उप सचिव

(6/2019)